	(घ) ग्राम परिषद निधि से निवेशित सुरक्षाओं से प्राप्त आय; (ङ) भू राजस्व अथवा अन्य सरकारी देय राशि से एकत्रित शेयर; (च) ऋण और उपहारों से प्राप्त सभी राशि; (छ) ग्राम परिषद के प्रबन्धन के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग से प्राप्त आय; (ज) ग्राम साधारण निकाय की किसी सम्पत्ति से प्राप्त आय; (झ) ग्राम परिषद के कर्मियों द्वारा एकत्रित सभी प्रकार के रेत, कूड़ा कर्कट, खाद की बिक्री से आय; (ञ) सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम परिषद निधि से प्राप्त धन राशि ; (ट) किसी भी संस्थान में व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की सभी राशि अथवा ग्राम परिषद निधि से दी जाने वाली सेवा अथवा लगाई राशि को ग्राम परिषद द्वारा प्रबन्धित किया जाएगा । (3) ग्राम परिषद निधि में राशि उपबन्धों के अधीन लागू किया जाएगा और इस विनियम के प्रयोजन के लिए तथा निर्धारित किए गए अनुसार इसे ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।	
	34. प्रशासक ऐसे शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे सामान्य प्रयोजन हेतु अथवा ग्राम के सुधार के लिए तथा इसमें रहने वाले निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम परिषद को अनुदान दे सकता है ।	अनुदान
	35. (1) प्रशासक यदि वह उचित समझे तो नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति के और ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी अथवा किसी भी सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद के निर्देश, प्रबन्धन और नियंत्रण रख सकते हैं अर्थात – (क) खुला स्थान, बेकार, रिक्त और चरागाह जो निजी सम्पत्ति नहीं है और नदी का किनारा; (ख) सार्वजनिक सड़क और गलियाँ;	ग्राम परिषद के निर्देशन, प्रबन्धन और नियंत्रण के अन्तर्गत रखी गई सम्पत्तियाँ